राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित चूरू शहर की आवासीय योजना में

-: खुली बिक्री :-

योजना के अन्तर्गत नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति पर आवास प्राप्त करने का "पहले आओ पहले पाओ"

योजना की प्रारम्भ तिथि 07.12.2015

योजना की अन्तिम तिथि 28.01.2016

कार्य दिवस 10:00 से 4:00 बजे तक

स्वर्णिम अवसर

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति अधिनियम 1970 के नियमानुसार चूरू शहर स्थिति मण्डल की आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा) मध्यम आय वर्ग (अ), मध्यम आय वर्ग (ब) एवं उच्च आय वर्ग के आवासों का नगद भुगतान पद्धति व किराया क्रय पद्धति पर निस्तारण हेतु खुली बिक्री योजना दिनांक 07.12.2015 से प्रारम्भ की जा रही है आवेदन हेतु आवेदन पुस्तिका दिनांक 04.12.15 से कार्यालय समय में खरीदी जा सकती है। खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवास का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	कुल आवासों की संख्या	सेक्टर/आवास नम्बर	आवास का सामान्य माप (वर्ग मी.)	अनुमानित लागत (रु.)	आवेदन पत्र के साथ जमा कराने योग्य पंजीकरण एवं पूर्णग्रहण राशि	
						नकद भुगतान पद्धति के आवेदक	किराया क्रय पद्धति के आवेदक
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा)	01	5/105	30.00	284500/-	12000/-	12435/-
2.	(i) मध्यम आय वर्ग (अ)	02	04/07, 04/08	90.00	1721900/-	90000/-	93263/-
3.	(ii) मध्यम आय वर्ग (अ)	01	1/70	120.00	1863900/-	90000/-	93263/-
4.	(ii) मध्यम आय वर्ग (अ)	08	3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/122, 3/123, 3/124	120.00	2210400/-	90000/-	93263/-
5.	मध्यम आय वर्ग (ब)	04	2/98, 2/103, 2/106, 2/107	162.00	2564200/-	150000/-	155438/-
6.	मध्यम आय वर्ग (ब)	01	1/46	162.00	3032400/-	150000/-	155438/-
7.	उच्च आय वर्ग	01	4/106	210.00	3499700/-	220000/-	227975/-
8.	उच्च आय वर्ग	03	1/05, 1/07, 1/09	210.00	4169400/-	220000/-	227975/-

नोटः-

1. इस योजनान्तर्गत मण्डल में पूर्व पंजीकत आवेदको के अतिरिक्त नए अपंजीकृत आवेदक भी आवास आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है।
2. आवेदन पत्र परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ चूरू के कार्यालय में राशि रू. 500/- जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है।
3. आवासो का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नही किया जावेगा।
4. आवासो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित भुगतान पद्धति के विकल्पानुसार वरीयता का कम इस प्रकार किया जावेगा- नकद भुगतान पद्धति के उसी आयवर्ग के पूर्व पंजीकृत आवेदक, नगद भुगतान पद्धति के अपंजीकृत आवेदक, किराया कय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक तथा किराया कय पद्धति के अपंजीकृत आवेदक।
5. इस योजना में नगद भुगतान पद्धति के तहत आवंटन पर सर्विस टेक्स देय नही होगा।
6. आवेदन पत्र मूल आवेदक के स्वयं कार्यालय में उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।
7. लागत के अतिरिक्त सर्विस टेक्स, एन्सीलरी सर्विस चार्ज, लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज, अतिरिक्त भूमि की राशि एवं अन्य राशि बोर्ड नियमानुसार पृथक से देय होगी।
8. आवेदन पत्र प्रति दिन सायं चार बजे तक प्राप्त किये जायेगें तथा एक ही आवास हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 4:30 बजे लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया जावेगा।
9. पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण निरस्त नही होने अथवा पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नही होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आंवटित नही होने का 20/-रूपयें को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदको को अपनी पहचान एव पते के प्रमाणित दस्तावेज की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
11. नकद भुगतान पद्धति के आवंटियों को आवंटन पत्रानुसार प्रारम्भिक मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने के तीन माह में जमा करानी होगी तथा किराया कय पद्धति के आवंटियों को आवंटन पत्रानुसार मांग राशि एक माह में जमा करानी होगी।
12. आवंटन पश्चात निर्धारित तिथि तक राशि जमा नही कराने पर मण्डल नियमानुसार कटौती करते हुए शेष जमा राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी।
13. योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।
14. योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

-: सम्पर्क सूत्र :-

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)
राजस्थान आवासन मण्डल
चूरू
मो. 9829417291

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
मकान नं. 2/3, पुराना हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनूं
दूरभाष : 01592-232319